रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-213/2017/235/22-2-2014-17(35)/2014

लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़** के सिद्धदोष **बन्दी पुत्ती लाल (बन्दी संख्या-15326) पुत्र श्री राम नारायन, निवासी-कछेठरा मजरा हरचन्दखेडा, थाना-नर्वल, जिला-कानपुर नगर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-155/1977** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-147, 148, 149, 323 व 302** के अधीन **दिनांक 21-03-1980** को मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-213/2017/235(1)/22-2-2014 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in